

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः—मुसप्र / 2019 / ९९५

दिनांकः—१४/११/२०१९

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड—नवम, उप आवासन आयुक्त वृत्त—द्वितीय एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता—प्रथम जयपुर के अधीन मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में फ्लैट संख्या 141/सी—706 एवं 141/सी—905, मध्यम आय वर्ग—ब, जयपुर में रामाकृष्णा अपार्टमेंट ब्लॉक—सी, के फ्लैटों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से अनुशंशा के आधार पर करने की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है।

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता उक्त फ्लैटों का निस्तारण आदेश क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करे :—


1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व / 11 / 2014–15 / 37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार—प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। “निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन / शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 22/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


(डॉ. प्रीति सिंह पंवार)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ —

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता प्रथम / द्वितीय / मु0, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता—प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत—द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड—नवम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक